कॉरपोरेट कारकों के कारण हुए मानवाधिकार हनन के आरोपों में मामले का दस्तावेजीकरण शुरू करने की जांच सूची

अधिक जानकारी के लिए, अथवा यदि आप दस्तावेजीकरण शुरू करने की जांच सूची बना चुके हैं, कृपया सम्पर्क करें:

तातियाना बेजर (ESCR-Net): tbejar@escr-net.org
और
एनाबेल शॉर्ट (व्यापार तथा मानवाधिकार संसाधन केंद्र): short@business-humanrights.org

पिछली जानकारी नीचे और यहां ऑनलाइन उपलब्ध है
http://business-humanrights.org/en/checklist-enabling-greater-documentation-of-corporate-human-rights-abuses

सुरक्षा नोटिस: कृपया किसी भी सवाल का उत्तर तभी दें जब आप पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें और जिसके कारण किसी और को भी कोई खतरा न हो.

नाम: [स्वैच्छिक]

____

संस्था: [स्वैच्छिक]

____

घटना या परिस्थिति से सम्बन्ध: [स्वैच्छिक]

____

जांच सूची के सभी सवालों के जवाब सार्वजनिक किये जाएंगे; यदि कोई जवाब ऐसा है जिसे आप सार्वजनिक नही करना चाहते हैं तो कृपया स्पष्ट करें. प्रश्न संख्या 1-3 किसी भी स्थानीय समुदाय के द्वारा किसी घटना का दस्त्तावेजीकरण शुरू करने के लिए काफी हैं. सहायक संस्थाएं प्रश्न संख्या 4-6 को भी पूरा कर सकतीं हैं.

1. मौजूदा पारिस्थिति या घटना के बारे में सामान्य जानकारी

नोटः यह एक घटना, कई घटनाएं, मौजूदा परिस्थिति या इन सब का मिश्रण हो सकती हैं.

1.1. परिस्थिति या *घटना की प्रकृतिः* बताएं क्या हुआ था, या अभी भी क्या हो रहा है (यदि मौजूदा परिस्थिति हो).

1.2. *समयः* यह घटना कब हुई, या फिर कब शुरू हुई (यदि मौजूदा परिस्थिति हो)?

1.3 *स्थान*: यह घटना कहाँ हुई / या कहाँ हो रही है (यदि मौजूदा परिस्थिति हो), जैसे- गाँव का नाम, शहर, देश, जगह की कोई पहचान.

1.4 *प्रभावित लोग*: कितने लोग प्रभावित हैं? कितने और लोग प्रभावित हो सकते हैं? प्रभावित लोगों के बारे में थोड़ा सा बताएं (जैसे- समुदाय की पहचान, या, किसी एक के बारे में, सम्बंधित इतिहास).

2. शामिल कारक

2.1 *व्यापार:* घटना या परिस्थिति में शामिल कम्पनी या कम्पिनियों के नाम और उनके शामिल होने का तरीका, यदि जानकारी हो.

2.2. *सरकार:* क्या स्थानीय या केंद्रीय सरकारी अफसर या फिर सुरक्षा एजेन्सीयां भी शामिल हैं/थे? यदि हाँ, यदि हाँ तो उन्होंने इस मामले में क्या कदम उठाए या उनकी क्या भूमिका थी, यदि जानकारी हो?

2.3 *अन्य:* यदि आपको इस घटना में शामिल किसी अन्य कारक के बारे में जानकारी हो तो बताएं (जैसे- विदेशी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय बैंक).

3. वर्तमान और भविष्य में संभव खतरे:

3.1 क्या आपको या बाकी लोगों को कोई खतरा है, या पीड़ितों के लिए काम कर रहे वकीलों को? कृपया संभावित खतरों के बारे में विस्तार से जानकारी दें.

3.2 क्या निकट भविष्य में कोई नुक्सान होने की आशंका हैं?

4. इच्छित परिणाम

4.1 *लक्ष्य:* आप क्या परिणाम पाने की आशा रखते हैं, क्या उनको पाने के लिए दस्तावेजीकरण के ज़रूरी कदम उठाये गए हैं?

4.2. *बाधाएं:* इस लक्ष्य को पाने में बड़ी मुश्किलें कौन कौन सी हैं?

5. पहले से उपलब्ध दस्तावेज

5.1 क्या कोई लिखित रिपोर्ट, फोटो, विडियो आदि बनाए गए/प्रकाशित हुए हैं? *[यदि संभव हो तो कृपया लिंक दें]*

6. पिछले उठाये गए कदम तथा पत्र व्यवहार

6.1 *सरकार तथा कम्पनी के साथ पत्र व्यवहार:* क्या आपने इस बारे में सरकार या फिर कंपनी के साथ पत्र व्यवहार किया है, यदि हाँ तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?

6.2 *बाहरी समूह के साथ संपर्क:* क्या आपने घटना के बारे में किसी बाहरी व्यक्ति या संस्थान से संपर्क किया हैं? यदि हाँ तो वो कौन थे तथा उनकी क्या प्रतिक्रया थी?

6.3. *कार्यवाही (कानूनी भी):* क्या घटना के सम्बन्ध में कोई कदम पहले से उठाया गया हैं या उठाने की योजना हैं? यदि हाँ, कृपया बताएं क्या कदम उठाये गए, कौन सी परेशानियां आईं, और यदि कोई परिणाम निकला हो तो. (उदाहरण में कानूनी कार्यवाही, स्थानीय संस्था तथा मीडिया के प्रयोग को शामिल किया जा सकता है)

****

प्रष्ठभूमि:

यह project प्रोजेक्ट संसार भर के समूहों के द्वारा प्रकट की गयी ज़रूरतों के उत्तर देता है (ESCR-Net के सदस्यों और व्यापार एवम् मानवाधिकार संसाधान केंद्र सहित). इसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर पीड़ित समुदायों को सहायता उपलब्ध करवाना है जिससे की वह कॉर्पोरेट सम्बन्धी मानवाधिकार हनन के खिलाफ आवाज़ उठा सकें.

हम जानते हैं कि सिर्फ दस्तावेजों के ज़रिये समुदायों की समस्याओं को हल नही किया जा सकता हैं, इसी वजह से प्रोजेक्ट को सामुदायिक दस्तावेजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है जिससे कि उनके अन्दर परिस्थितियों के बारे में अधिक जागरूकता आये, और वह इस दस्तावेजीकरण को अधिकतम प्रभावी बनाने के लिए ज़रूरी सहायता और सहयोग प्राप्त कर सकें.